अत्यावश्यक/
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/2021 जयपुर, दिनांक 8.11.21

श्री नरेन्द्र कुमार आर्य उप विधि परामर्शी नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर	श्री जगमोहन मित्रुका वरिष्ठ विधि अधिकारी जिला परिषद्, हनुमानगढ़	श्री शैलेन्द्र रंगा वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर
श्री प्रवीण कुमार मीणा वरिष्ठ विधि अधिकारी अतिरिक्त आबकारी आयुक्त निरोधक दल, राजस्थान उदयपुर	श्री कल्पेश पंचाल कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय उदयपुर	प्रियंका राठौड़ कनिष्ठ विधि अधिकारी अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बीकानेर
श्री प्रिंस जैमन कनिष्ठ विधि अधिकारी नगर विकास न्यास, अलवर	श्री वेद प्रकाश मीणा कनिष्ठ विधि अधिकारी नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर	

विषयः—राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भः— इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 27.09.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.09.2021 द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया। आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को नहीं भिजवाई गई है, जबकि इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 में स्पष्ट निर्देश है कि स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

राजकीय आदेशों की पालना नहीं करना अवहेलना/अवज्ञा की श्रेणी में आता है, इसके लिए राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतः उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27.09.2021 के संबंध में उनके द्वारा 7 दिवस में की गई पालना की रिपोर्ट इस कार्यालय को पेश करें तथा यदि उक्त आदेशों की पालना 7 दिवस में नहीं की गई हो तो इस बाबत अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा संबंधित कार्मिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही कर आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक की स्वयं की होगी।

8.11.2021

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTTER-2018.docx